



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-336/MP/15/2022-ESDW

दिनांक: 21.04.2023

डॉ. पल्लवी जैन गोविल,
प्रमुख सचिव,
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास,
भोपाल -462004,
मध्य प्रदेश
ई-मेल: pstwd@mp.gov.in

सुश्री निधि निवेदिता
संचालक,
उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
6 वी मंजिल, विन्ध्याचल भवन
मध्य प्रदेश, भोपाल -462004
ईमेल: dirhort@mp.nic.in


श्री प्रियंक मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला धार,
कलेक्टर कार्यालय,
धार - 454001, मध्य प्रदेश
ई-मेल : dmdhar@nic.in

विषय: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले TSP/TSS/STC की राशि के दुरुपयोग की जांच एवं इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डी. गोपाल राव, भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 10.10.2021 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री डी. गोपाल राव से दिनांक 10.10.2021 एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि


(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री डी. गोपाल राव,
शॉप नं. 127, डी. पी. फेब्रिकेटर,
एकता मार्किट, समीप हरीश चौक,
कोटरा सुल्तानाबाद मेन रोड,
भोपाल, मध्य प्रदेश
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।